पं०सं०/सचल दल अनु0/2023-24/ 2324029

/ 1252 /राज्य कर

कार्यालयः—आयुक्त, राज्य कर उ०प्र०। (सचल दल अनुभाग) दिनांक — १७ जनवरी.2024

समस्त जोनल अपर आयुक्त, अपर आयुक्त ग्रेड—2 (वि०अनु०शा०), संयुक्त 'आयुक्त(वि०अनु०शा०), सहायक आयुक्त(सचल दल), राज्य कर अधिकारी (सचल दल), राज्य कर, उ०प्र०। विषय— सचल दल इकाईयों द्वारा की जा रही जॉच के संबंध में।

राजस्व सुरक्षा तथा संग्रह में वृद्धि के दृष्टिगत प्रभावी प्रवर्तन कार्य अत्यंत आवश्यक है। प्रवर्तन कार्य के समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना अपेक्षित है कि जहां एक ओर प्रवर्तन कार्यों से करापवंचन पर प्रभावी रोक लगायी जाये वहीं दूसरी ओर Genuine Taxpayers का किसी भी प्रकार से कोई उत्पीड़न न होने पाये।

प्रदेश में कार्यरत सचल दल इकाईयों की कार्यप्रणाली के संबंध में विभिन्न व्यापारिक संगठनों एवं अन्य करदाताओं से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के परिशीलन पर यह पाया गया कि निम्नलिखित दो प्रकरणों में प्रदेश की कितपय सचल दल इकाईयों द्वारा की गयी कार्यवाही विधि संगत नहीं है—

- 1. Bill to Ship to प्रकरणों से जुड़े मामले।
- 2. ODC वाहनों से जुड़े मामलें।

फील्ड में कार्यरत सचल दल इकाईयों द्वारा किये जा रहे प्रवर्तन कार्य में एकरूपता लाने के लिए इस संबंध में निम्नवत् निर्देश दिये जाते हैं—

- 1. Bill to Ship to प्रकरणों से जुड़े मामले मुख्यालय स्तर पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों की समीक्षा पर यह पाया गया है कि कतिपय सचल दल इकाईयों द्वारा माल एवं वाहन को इस आधार पर रोका गया कि Bill to Ship to संव्यवहार से आच्छादित प्रकरणों में माल की प्राप्ति (Reciept) का स्थान क्रेता द्वारा उसके Additional Place of Business के रूप में घोषित नहीं किया गया है।
- 1.1 UPGST/CGST नियमावली के नियम 46 में टैक्स इनवॉयस संबंधी प्रावधान किये गये हैं। आलोच्य नियम में टैक्स इनवॉयस पर पता उल्लिखित किये जाने के संबंध में सुसंगत प्रावधान निम्नवत है—
- d) name, address and Goods and Services Tax Identification Number or Unique Identity Number, if registered, of the recipient;
- (e) name and address of the recipient and the address of delivery, along with the name of the State and its

code, if such recipient is unregistered and where the value of the taxable supply is fifty thousand rupees or more;

(f) name and address of the recipient and the address of delivery, along with the name of the State and its code, if such recipient is unregistered and where the value of the taxable supply is less than fifty thousand rupees and the recipient requests that such details be recorded in the tax invoice;

(o) address of delivery where the same is different from the place of supply;

चूकि Bill to Ship to संव्यवहार में Address of delivery, place of supply से भिन्न होता है अतः इस श्रेणी के प्रकरण नियम 46(o) से आच्छादित हैं। इस श्रेणी के संव्यवहारों की जॉच के समय नियम 46(o) के अनुपालन का परीक्षण अपेक्षित है। ऐसे संव्यवहार जहां Address of delivery का उल्लेख सुसंगत प्रपत्रों यथा टैक्स इनवॉयस तथा ई—वे बिल आदि पर किया गया है वहां यह आपित्त उठाया जाना कि Address of delivery प्रथम प्राप्तकर्ता (Billed to Person) के Additional Place of Business के रूप में घोषित नहीं है विधिक रूप से उचित नहीं है। अतः इस प्रकार के प्रकरणों में माल के गंतव्य स्थल के बारे में कोई अन्य आपित्त ना होने पर वाहन रोका जाना विधि संगत नहीं है।

2.कितपय प्रकरणों में यह देखा गया है कि सचल दल अधिकारियों द्वारा वाहन इस आधार पर निरूद्ध किये गये हैं कि परिवहन कर्ता द्वारा परिविहत किये जा रहे माल को Over Dimensional Cargo (ODC) के रूप में घोषित किया गया है तथा प्रश्नगत वाहन द्वारा ODC वाहनों के लिए एक दिन हेतु अनुमन्य अधिकतम दूरी तथा समय सीमा के विरूद्ध कम समय में अधिक दूरी तय की गयी है।

2.1 UPGST/CGST नियमावली के नियम 138 (10) में दी गयी तालिका की प्रविष्टि संख्या 03 एवं 04 के अन्तर्गत ODC वाहनों के सबंध में प्रावधानित दूरी एवं समय सीमा निम्नवत् है—

S.No	Distance	Validity Period
1	2	3
3	Upto 20 km	One day in case of Over Dimensional Cargo or multimodal shipment in which at least one leg involves transport by ship.
4	For every 20 km. or part thereof thereafter	One additional day in case of Over Dimensional Cargo or multimodal shipment in which at least one leg involves transport by ship:

^{2.2} नियम 138(10) के स्पष्टीकरण 02 के अन्तर्गत Over Dimensional Cargo की परिभाषा निम्नवत् दी गयी है—

Explanation 2.- For the purposes of this rule, the expression "Over Dimensional Cargo" shall mean a cargo carried as a single indivisible unit and which exceeds the dimensional limits prescribed in rule 93 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989, made under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988).

स्पष्ट है कि इस नियम के अन्तर्गत Over Dimensional Cargo वह कार्गो होगा जिसका आयाम Central Motor Vehicle Rules, 1989 के नियम 93 के अन्तर्गत निर्धारित मानकों से अधिक होगा।

- 2.3 इस संबंध में Central Motor Vehicle Rules, 1989 के नियम 93 के सुसंगत प्रावधान निम्नवत है-
- 93. Overall dimension of motor vehicles.—(1) The overall width of a motor vehicle, measured at right angles to the axis of the motor vehicle between perpendicular planes enclosing the extreme points, 134[shall not exceed 2.6 meters.
- (1-A) The overall width of a construction equipment vehicle, measured at right angles to the axis of the construction equipment vehicle between perpendicular planes enclosing the extreme points, shall not exceed 3 meters while in the travel mode and such construction equipment vehicle shall be painted by yellow and black zebra stripes on the portion of the width that exceeds 2.6 meters on the front and rear sides duly marked for night time driving/parking suitably by red lamps at the front and rear
- (2) The overall length of a motor vehicle other than a trailer shall not exceed—
- (i) in the case of motor vehicle other than transport vehicle having not more than two axles, 6.5 meters;
- (ii) in the case of transport vehicle with rigid frame having two or more axles, 12 meters;
- (iii) In the case of articulated vehicles having more than two axles, 16 meters;
- (iv) m the case of truck-trailer or tractor-trailer combination, 18 meters;
- (v) in the case of 3 axle passenger transport vehicles, 15 meters;
- (vi) in the case of single articulated (vestibule type) passenger transport vehicle, 18 (vii) in the case of double articulate passenger transport vehicles, 25 meters
- (3) In the case of an articulated vehicle or a tractor-trailer combination specially constructed and used for the conveyance of individual load of exceptional length,—
- (i) if all the wheels of the vehicle are fitted with pneumatic tyres, or
- (ii) if all the wheels of the vehicle are not fitted with pneumatic tyres, so long as the vehicle is not driven at a speed exceeding twenty-five kilometers per hour, the overall length shall not exceed 18 meters.
- 141(3-A) The overall length of the construction equipment vehicle, in travel shall not exceed 12.75 meters: Provided that in the case of construction equipment vehicle with more than two axles, the length shall not exceed 18 meters.
- (4) The overall height of a motor vehicle measured from the surface on which the vehicle rests,—

- (i) in the case of a vehicle other than a double-decked transport vehicle shall not exceed 3.8 meters;
- (ii) in the case of a double decked transport vehicle, shall not exceed 4.75 meters;
- (ii-a) in the case of tractor-trailer goods vehicle, shall not exceed 4.20 meters;
- (iii) in the case of a laden trailer carrying ISO series 1 Freight Container, shall not exceed 4.2 meters:
- (8) No motor vehicle shall be loaded in such a manner that the load or any part thereof extends,—
- (i) laterally beyond the side of the body;
- (ii) to the front beyond the foremost part of the load body of the vehicle;
- (iii) to the rear beyond the rear most part of the vehicle;
- (iv) to a height beyond the limits specified in sub-rule (4):

Provided that clause (iii) shall not apply to a goods carriage when loaded with any pole or rod or indivisible load so long as the projecting part or parts do not exceed the distance of one meter beyond the rear most point of the motor vehicle.

- 2.4 स्पष्ट है कि Over Dimensional Cargo का निर्धारण उपरोक्त प्रावधानों के दृष्टिगत किया जाना अपेक्षित होगा। Over Dimensional Cargo से संबंधित वाहन होने की दशा में केवल इस आधार पर अभिग्रहण किया जाना कि ऐसे किसी वाहन ने नियम 138(10) के अधीन विहित अधिकतम दूरी एवं समय सीमा की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय की है विधिक रूप से उचित नहीं है। अतः उपरोक्त प्रकार के प्रकरणों में माल तथा वाहन का अभिग्रहण किया जाना सिवाय उस स्थिति के, जहां आलोच्य वाहन द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त अधिक समयाविध का प्रयोग समान प्रपत्रों के आधार पर माल के पुनर्परिवहन हेतु किया जा रहा है, उचित नहीं है।
- 3. उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- 4. उपरोक्त प्रावधानों के क्रियान्वयन में किसी कठिनाई की दशा में प्रकरण अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लाया जा सकता है।

(मिनिस्ती एस) आयुक्त, राज्य कर, उ०प्र०।